राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4726/2019

मोहनलाल तूरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. डीईओ, माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय, सिरोही।
4. डीईओ, प्रारंभिक शिक्षा, सिरोही।
5. जिला परिषद, सिरोही जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिरोही।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2019

आदेश की दिनांक : 15.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी सं. 1 व 3 की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वेतनमान एवं चयनित वेतनमान आदि का समस्त लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलांगरी, जिला सिरोही से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.06.2012 के द्वारा प्रथम

नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। उनका कथन है कि उक्त लाभ उसके समान कार्मिक अथवा उससे कनिष्ठ कार्मिक जो ब्लॉक शिवगंज में कार्य कर रहा है, को दिया गया। परंतु अपीलार्थी को नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.11.2001 को परिपत्र जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि यदि कोई कार्मिक अध्यापक के पद पर नियुक्त होता है और बाद में एसटीसी अथवा बी.एड. करता है तो वह नियुक्ति दिनांक से समस्त लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और इसी प्रकार अपीलार्थी के समान अन्य व्यक्ति को भी बांसवाडा जिले में आदेश दिनांक 10.04.2019 के द्वारा समस्त लाभ दिये गये हैं। अतः अपीलार्थी भी समस्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2019 को अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में कई आदेश पारित किये गये, जिसमें कई कार्मिकों को लाभ प्रदान किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वेतनमान एवं चयनित वेतनमान आदि का समस्त लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी नियुक्ति थी। वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया गया तथा अपीलार्थी की सेवायें बाद में जिला संस्थापन समिति द्वारा नियमित की गईं और स्पष्टीकरण दिनांक 06.02.1999 राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी की सेवाओं का नियमितिकरण का प्रावधान किया गया और आदेश दिनांक 29.06.2009 में प्रावधान किया गया कि एसीपी का लाभ देने हेतु सेवा की गणना नियमित दिनांक से की जावे और इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चंद्राराम जिसमें नियमित नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश दिया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति दिनांक से ही

एसीपी आदि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलांगरी, जिला सिरोही से सेवानिवृत्त हो चुका है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य